26.2.24

आज यह पत्रावली वकील प्रार्थी के उपस्थित होने पर पेशी में ली गई। प्रकरण दर्ज रजि. किया गया। मूल वाद न्यायालय के श्रेत्राधिकारी का नहीं होने के कारण अस्वीकार होने पर प्रार्थना पत्र 212 राज. काश्त. अधिनियम औचितयहीन होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो नम्बर से कम हो।

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.03.25 12:38:31 IST
Reason: SelfAttested